कार्यकारी सारांश

आउटकम बजट 2005-06 से बजटीय प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग बन गया है। सरकार का प्रयास खर्च की योजना बनाकर, उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करके, प्रत्येक योजना में डिलीवरेवल परिमाण करके और प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए मुहैया किए गए बजट परिव्यय के 'परिणाम' दर्शाकर 'परिव्यय' का 'परिणामों' में सामंजस्य बिठाने का है। इसमें आकलन योग्य कार्यनिष्पादन के आधार पर सार्वजनिक धनराशि के आबंटन और वितरण के साथ प्रभावकारी सम्बद्धता स्थापित करने के लिए एक नीतिगत साधन के रूप में कार्य करना अभिप्रेत है। परिणाम बजट 2013-14 में वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 दिसम्बर, 2012 तक का कार्यनिष्पादन तथा 2013-14 के लिए वास्तविक कार्यनिष्पादन के लक्ष्य दिए गए हैं।

2. परिणामी बजट 2013-14 में मुख्यत: निम्नलिखित अध्याय हैं:-

अध्याय - 1 : पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के दायित्व, लक्ष्य, नीतिगत ढांचा तथा प्रमुख कार्यों, इसके संगठनात्मक ढांचे और क्रियान्वयन के अधीन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण।

अध्याय - 2 : तालिकाबद्ध विवरण जिसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के वित्तीय परिव्यय, और वित्तीय परिव्ययों तथा लक्षित परिणामों के बीच एक-एक के साथ अनुरूपता स्थापित करने के उद्देश्य के साथ प्रतिलक्षित वास्तविक परिव्यय।

अध्याय -3 : किसानों की बेहतरी और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा शुरू किए गए सुधार उपाय तथा नीतिगत पहलकदमियां।

अध्याय - 4 : लक्ष्यों के संबंध में वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में दिसम्बर, 2012 तक के योजनावार वास्तविक कार्य निष्पादन का विश्लेषण।

अध्याय - 5 : चालू वर्ष सहित हाल के वर्षों में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के साथ-साथ व्यय की समग्र प्रवृत्ति की व्यापक वित्तीय समीक्षा जिसमें शेष उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति शामिल है।

अध्याय - 6 : विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन वैधानिक और स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा।

निगरानी व्यवस्था

3. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष बल देता है और निगरानी तथा मूल्यांकन की वृहद बहुस्तरीय एवं बहु-टूल प्रणाली विकसित की गई है। निगरानी तंत्र के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है:-

(1) विभाग की प्रत्येक योजना के दिशानिर्देशों में एक आंतरिक निगरानी व्यवस्था विद्यमान है।

(2) राज्य सरकारों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त कार्यक्रमों की वित्तीय तथा वास्तविक दोनों प्रकार की प्रगति को देखते हुए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की आवधिक रिपोर्टों के जरिए निगरानी की जाती है।

(3) सचिव(ए एच डी एफ) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करते हैं।

(4) क्रियान्वयन एजेंसियों को दूसरी तथा उसके बाद की किश्तों को जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्रों, लेखा परीक्षित लेखों तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों को भेजना एक पूर्व शर्त होती है।

(5) फील्ड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन का मूल्यांकन करने, के लिए प्रख्यात तथा स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों/संगठनों के माध्यम से समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं।

(6) राज्य सरकारों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

(7) योजनागत स्कीमों से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकारी अनुदान के लिए सहायक लेखा के रख-रखाव की आवश्यकता होती है, जो कि सांवधिक लेखा परीक्षा की संवीक्षा की शर्त पर होती है।

(8) विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षक भी समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के निष्पादन का ऑडिट करते हैं।

जन सूचना प्रणाली

4 जागरूकता पैदा करने, लोगों को एकजुट करने तथा समर्थन के जरिए लोगों के ज्ञान, दक्षता और तकनीकियों का अंतरण करके उन्हें विकास में भागीदार बनाने में सूचना, शिक्षा तथा संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना, शिक्षा तथा संचार सूचनाप्रद तथा प्रेरक दो सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाते हैं और इस प्रकार यह अपेक्षित सामाजिक एकजुटता को लाने और भागीदारी विकास को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

विभाग की योजनाओं के संबंध में अपेक्षित कोई भी सूचना कृषि भवन स्थित विभाग के सुविधा केन्द्र से उपलब्ध है।

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रचार अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रित पोस्टरों तथा हैंडबिलों के वितरण, दीवार पेंटिंग, समाचार पत्रों में विज्ञापनों/पत्रिकाओं के प्रसार द्वारा किया जाता है।

सुधारे गए उत्पादन तथा संरक्षित टैकनॉलॉजी के संबंध में सूचना के प्रसार और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है।

योजनाओं का ब्यौरा और उनके क्रियान्वयन की प्रगति विभाग की वेबसाइट (http://dahd.nic.in) में दर्शाई गई है तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सूचना को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की वेबसाइट योजनाओं और कार्यक्रमों, अधिनियमों, नियमों और रिपोर्टों के संबंध में भी सूचना उपलब्ध कराती है। विभाग ने पशुधन सांख्यिकी के लिए एक वेब आधारित प्रणाली भी विकसित की है।

5. लिंग विशिष्ट पहलकदमियां

विभाग के संपूर्ण दायित्व, लक्ष्य और उद्येश्यों में पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी क्षेत्र में उत्पादकता और उत्पादन के लिए महिलाओं की भागीदारी एवं योगदान और उनके कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) के क्रियान्वयन से संबंधित भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, राज्य/क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि विभिन्न प्लान योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए एससीपी में कुल आबंटन का कम से कम 16 प्रतिशत रखे।

बजट अनुमान 2013-14 के लिए 2025.00 करोड़ रुपए के कुल योजना आवंटन में से एससीपी घटक के लिए प्रस्तावित परिव्यय 328.00 करोड़ रुपए है।

अध्याय-1

भूमिका

अध्याय-1

भूमिका

संगठन

1.1 ढांचा

1.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय का एक विभाग है जो कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात् पशुपालन और डेयरी विकास को मिला करके 1 फरवरी,1991 को अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा इस विभाग में 10 अक्तूबर, 1997 में अंतरित कर दिया गया था। पशुधन संगणना एकक को इस विभाग में कृषि एवं सहकारिता विभाग से जून, 2002 में अंतरित किया गया था।

1.1.2 यह विभाग माननीय कृषि मंत्री के सम्पूर्ण प्रभार में है, जिनकी सहायता पशुपालन राज्य मंत्री करते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन हैं।

1.1.3 विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में विभाग के सचिव को एक पशुपालन आयुक्त, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट और विभिन्न प्रभागों को आबंटित कार्य अनुबंध-I में दिए गए हैं।

1.2 कार्य

1.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने, डेयरी विकास और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग मछली पकड़ने और मत्स्यन पालन से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है, जिसमें अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से संबंधित मामले शामिल हैं।

1.2.2 यह विभाग पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्यन पालन के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह देता है। यह विभाग मुख्यतया इन गतिविधियों पर ध्यान देता है (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास (ख) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और

संरक्षण (ग) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का सुदृढ़ीकरण और (घ) ताजे, खारे पानी में मछली पालन का विस्तार तथा मछुआरों का कल्याण आदि।

विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाएं

1. पशुधन बीमा

पशुधन बीमा योजना को 2005-06 और 2006-07 के दौरान देश के 100 चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2007-08 के लिए यह योजना उन्हीं 100 जिलों में उसी रूप में जारी रही। पशुधन बीमा पर एक पूर्णरूपेण योजना को 20.11.2008 को अनुमोदित किया गया था, जिसे नियमित आधार पर 100 नये चुनिंदा जिलों में क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा 10.12.2009 से 300 जिलों में योजना को विस्तारित किया है।

2. एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

दूध, अण्डा, मीट और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों का अनुमान वार्षिक नमूना सवेक्षणों के आधार पर लगाया जाता है जिन्हें केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''एकीकृत नमूना सर्वेक्षण'' के तहत चलाया जाता है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। यह वार्षिक सर्वेक्षण मार्च से फरवरी तक चलाया जाता है। एक वर्ष की समूची अवधि को चार-चार महीनों के तीन मौसमों में विभाजित किया जाता है। ''पशुपालन सांख्यिकी के सुधार के लिए तकनीकी निर्देशन समिति'' इस योजना को चलाने में मार्गदर्शन करती है। राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रमुख पशुधन उत्पादों के अनुमानों को संकलित करते हैं जिन पर प्रमुख पशुधन उत्पादों के वार्षिक अनुमानों पर पशुपालन सांख्यिकी के सुधार के लिए तकनीकी निर्देशन समिति की बैठक में विचार किया जाता है। अनुमानों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन अनुमानों को विभाग की वेबसाइट पर डाला जाता है। इन अनुमानों को विभाग के द्विवार्षिक प्रकाशन 'बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी' में भी प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन का नवीनतम अंक वर्ष 2012 का है।

इस योजना से कृषि में पशुधन क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन उत्पादों और सकल घरेलू उत्पाद में सकल मूल्य-संवर्द्धन का अनुमान लगाने में सुविधा होगी जिससे इस क्षेत्र के लिए भावी आयोजना की जाएगी।

3. पशुधन संगणना

प्रथम पशुधन संगणना 1919-20 में आयोजित की गई थी और तब से इसे भारत में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जो फार्म पशुओं और कुक्कुट पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संबंध में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है। विभाग ने 15.10.2012 की संदर्भ तारीख के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों के माध्यम से देश में 15 सितम्बर, 2012 को 19वीं पशुधन संगणना आरंभ की है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे यह श्रमसाध्य कार्य लगभग पूरा हो गया है। डाटा एंट्री साफ्टवेयर को अंतिम रूप दिया जा रहा है ओर 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डाटा एंट्री केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं।

यह संगणना 100 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में की जा रही है। संगणना के प्रमुख घटकों अर्थात् कार्यक्रमों और प्रशिक्षण मैनुअलों के मुद्रण, प्रशिक्षण, प्रचार, गणना, पर्यवेक्षण, आकस्मिक खर्चों और गणना के परिणामों को तालिकाबद्ध करने के लिए समर्थन के संबंध में राज्यों को सहायता दी जाती है।

इस विभाग के पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति नस्लवार सर्वेक्षण के लिए कवरेज, जांच अनुसूची, अनुदेश नियम-पुस्तिका, तौर-तरीके, प्रशिक्षण को अंतिम रूप देने के लिए गठित की गई है।

तकनीकी समिति के निर्देश के अनुसार, नस्ल संगणना के लिए जांच अनुसूचियां, नियम-पुस्तिका और तौर-तरीकों आदि का प्रारूप तैयार करने के लिए 'नस्ल संबंधी विशेषीकृत समूह की उप-समिति' सलाहकार(सांख्यिकी) की अध्यक्षता में गठित की गई है।

पशुधन संगणना से पशुधन की प्रजातिवार सही संख्या का सृजन होगा जिससे पशुधन की विशिष्ट नस्लों के विकास के लिए और संकटापन्न प्रजातियों के लिए उपचारात्मक उपाय करने में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को सुविधा होगी। इससे पशुधन क्षेत्र में अवसंरचना, डेयरी विकास और इसके विपणन और परिरक्षण, रोगों पर नियंत्रण और पशुधन के स्वास्थ्य को बनाए रखने, आहार और चारा विकास करने में भी सुविधा होगी।

4. <u>कुक्कुट</u>

भारत में कुक्कुट आज कृषि क्षेत्र का सबसे तेजी से बढ़ रहा क्षेत्र है। यह बदलती आवश्यकता और जैवसुरक्षा, एवियन स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आदि की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल बन रहा है। इस क्षेत्र में एक ओर अत्यधिक औद्योगिकृत प्रणाली और निर्यातोन्मुख कृषि प्रणालियों की रेंज शामिल हो रही है तो दूसरी ओर पारिवारिक कुक्कुट (घरेलू), छोटे और सीमांत क्षेत्रों की आजीविका संबंधी मुद्दों का समाधान हो रहा है। विगत दो से तीन वर्षों के दौरान, अंडों और कुक्कुट मीट के लिए उत्पादन की वृद्धि दर औसतन क्रमश: लगभग 6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। भारत में कुक्कुट क्षेत्र का विकास कई कारकों की वजह से हुआ बताया गया है जैसे कि बढ़ती आय और तेजी से बढ़ रहा मध्यम वर्ग और साथ ही संगठित कुक्कुट उत्पादक भी सामने आये हैं जिन्होंने उत्पादन और विपणन की लागत को कम करके उपभोक्ता मूल्य को कम किया है। भारत का असंगठित और घरेलु कुक्कुट क्षेत्र भी कई भूमिहीन/सीमांत किसानों के लिए सहायक आय सृजन का एक प्रमुख स्रोत है और यह ग्रामीण निर्धनों को पोषणिक सुरक्ष भी प्रदान करता है।

वर्तमान में बेसिक एनीमल हसबेंडरी स्टेटिस्टिक्स के अनुसार देश में अंडों का उत्पादन लगभग 63.02 मिलियन है। इस समय प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 53 अंडे प्रति वर्ष है। कुक्कुट मांस उत्पादन लगभग 2.03 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के अनुसार 2011-12 में कुक्कुट उत्पादों का निर्यात लगभग 457.82 करोड़ रुपए का है।

कुक्कुट के तहत योजनाएं

1. **केंद्रीय प्रायोजित योजना – ''कुक्कुट विकास''** जिसके निम्नलिखित तीन घटक हैं:

   i. राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता
   ii. ग्रामीण घरेलु कुक्कुट विकास
   iii. कुक्कुट संपदा

   इन घटकों का ब्यौरा निम्नानुसार है

क. राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता

यह एक सतत् योजना घटक है जिसे सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामलें में 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों के मामले में 80 प्रतिशत सहायता दी जाती है। दी जाने वाली सहायता की सीमा प्रत्येक फार्म के लिए 85.00 लाख रुपये है। हेचरी, ब्रूडिंग और पालनघरों, पक्षियों के

लिए अंडा देने के स्थानों के संदर्भ में फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए एक मुस्त सहायता दी जाती है और इसमें आहार मिल, उनकी गुणवत्ता की निगरानी, इन-हाउस रोग निदान सुविधाओं और आहार विश्लेषण प्रयोगशाला का प्रावधान भी शामिल होता है। इस योजना को आरंभ करने के समय वे लेकर अब तक 233 फार्मों को सहायता दी गई है।

ख. ग्रामीण घरेलु कुक्कुट विकास:

ग्रामीण घरेलु कुक्कुट विकास घटक की व्यवस्था गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभार्थों को कवर करने के लिए की गई है ताकि उन्हें अनुपूरक आय और पोषणिक समर्थन प्राप्त हो सकें।

4 सप्ताह तक की आयु के चूजों का पालन करने के लिए एसएचजी/एनजीओ, उद्यमी मदर यूनिट गतिविधि को अपना सकते हैं। उन राज्य कुक्कुट फार्मों में मदर यूनिट प्रदर्शन केन्द्रों के लिए प्रावधान किया जाता है जिन्हें राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता घटक योजना के अंतर्गत पहले सुदृढ़ किया गया है। इन मदर यूनिटों में राज्य कुक्कट फार्मों या प्राइवेट हैचरी से एक दिन के चूजे खरीदे जाएंगे और 4 सप्ताह तक इन पक्षियों को पाला जाएगा।

इस योजना घटक का उद्देश्य है टेपरिंग सहायता के साथ गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी परिवारों को सहायता दी जाए जिसमें 4 सप्ताह आयु के चूजे, जो घरेलू पालन के लिए उपयुक्त है, "मदर यूनिट" में पालन के बाद 20,15 और 10 पक्षियों की तीन बैच में उन्हें वितरित किया जाता है। इसके अलावा, पक्षियों को जैव-सुरक्षा प्रक्रिया से पालने, रात्रि सुरक्षा इत्यादि के लिए 750/-रुपए प्रति लाभार्थी एक प्रावधान योजना में रखा गया है।

2012-13 के दौरान (दिसम्बर 2012 तक) लगभग 21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के लगभग 95,000 लाभार्थियों के लिए सहायता को कवर किया गया है।

ग. कुक्कुट संपदा:

एक खोजी पायलट परियोजना " कुक्कुट सम्पदा " के जरिए उद्यमी कौशलता में सुधार लाए जाने की परिकल्पना की गई है जो मुख्यत: कम मार्जिन धनराशि वाले शिक्षित, बेरोजगार युवाओं और सीमान्त किसानों के लिए है, जिससे कि वे वैज्ञानिक और जैव-सुरक्षा प्रक्रिया से विभिन्न कुक्कुट संबंधी गतिविधियों से कुछ लाभ कमा सकते हैं।

सिक्किम में ब्रायलर फार्मिंग के लिए और उड़ीसा में लेयर फार्मिंग के लिए दो कुक्कुट संपदाओं को पायलट आधार पर चुना गया है।

II. कुक्कुट उद्यम पूँजीगत कोष

व्यक्तियों की उद्यमशीलता दक्षता को बढ़वा देने के उद्देश्य से, 2011-12 से केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष- भी क्रियान्वित की जा रही है जिसमें कुक्कुट संबंधित विभिन्न कार्यकलाप कवर किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 33 प्रतिशत और अन्य के लिए 25 प्रतिशत की बैक-एंडिड राजसहायता देने की व्यवस्था की गई है।

इस स्कीम के अधीन पक्षियों संबंधी कम आदान वाली प्रौद्योगिकी के साथ कुक्कुट प्रजनन फार्म, आहार गोदाम, आहार मिल, आहार विश्लेषण प्रयोगशाला, कुक्कुट उत्पादों का विपणन, अंडों की ग्रेडिंग, निर्यात क्षमता के लिए पैकिंग और भंडारण, खुदरा कुक्कुट ड्रेसिंग यूनिट, कुक्कुट उत्पादों के लिए अंडा/ब्रायलर कार्ट, केन्द्रीय उत्पादक यूनिट, हाइब्रिड लेयर और ब्रायलर कुक्कुट यूनिट और प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि कुछ घटक कवर किए गए हैं।

III. केंद्रीय क्षेत्र की योजना: केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र

चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र), भुवनेश्वर(पूर्वी क्षेत्र), मुंबई(पश्चिमी क्षेत्र) और बंगलौर(दक्षिणी क्षेत्र) में स्थित केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन के 4 केंद्र तथा गुडगांव, हरियाणा में स्थित एक केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र निम्नलिखित के माध्यम से कुक्कुट विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

क) अभिज्ञात अल्पादान प्रोद्यौगिकी कुक्कुट स्टॉक के गुणवत्ता चूजों को उपलब्ध कराकर।
ख) जापानी क्वेल तथा गुनिया फाउल जैसी चिकन से इतर प्रजातियों के साथ विविधीकरण।
ग) प्रशिक्षकों, किसानों, महिला लाभार्थियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कुक्कुट संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, बैंकों, सहकारिताओं तथा विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना।
घ) उनके निष्पादन के आंकलन हेतु देश में उपलब्ध विभिन्न स्टॉकों का नियमित परीक्षण।

उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए देश में उपलब्ध विभिन्न स्टॉक का नियमित परीक्षण ।

5. <u>राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना</u>

1.0 भूमिका:

बोवाईन में आनुवंशिक सुधार एक दीर्घकालिक गतिविधि है और भारत सरकार ने चरण-1 के लिए 402.00 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ 5-5 वर्ष के दो चरणों में 10 वर्षीय अवधि के लिए अक्तूबर, 2000 से एक प्रमुख कार्यक्रम ''राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना'' शुरू की है। चरण-1 के दौरान हुए लाभों को समेकित करने के उद्देश्य से दिसंबर,2006 में 914.89 करोड़ रुपए के आबंटन से चरण-2 शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर बल के साथ प्राथमिकता आधार पर आनुवंशिक उन्नयन की व्यवस्था है। इस परियोजना के तहत राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को 100% अनुदान सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना को 12वीं योजना के पहले दो वर्षों में जारी रखने के लिए योजना आयोग का अनुमोदन ले लिया गया है ताकि परियोजना की फैली हुई गतिविधियों को पूरा किया जा सके। 12वीं योजना से एक राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन परियोजना शुरु की जायेगी।

1.1 <u>योजना के दायित्व इस प्रकार है</u>:-

(क) किसानों को घर-द्वार पर अत्यंत उन्नत कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी की व्यवस्था करना।
(ख) गोपशु और भैंसों के बीच 80% प्रजनन योग्य मादाओं को कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च आनुवंशिक गुणों वाले सांडों द्वारा प्राकृतिक सेवा के माध्यम से संगठित प्रजनन के तहत लाना।
(ग) स्वदेशी गोपशु और भैंसों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चालाना ताकि आनुवंशिक संरचना और उनकी उपलब्धता में सुधार हो।

1.2 <u>घटक</u>:

(क) औद्योगिक गैस निर्माताओं से सप्लाई लकर तरल नाइट्रोजन के भंडारण और सप्लाई को सुसंगत बनाना तथा उसके लिए थोक परिवहन और भंडारण प्रणालियां स्थापित करना,
(ख) कृत्रिम गर्भाधान की घर-द्वार डिलीवरी के लिए निजी मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना
(ग) मौजूदा स्थिर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को मोबाईल केंद्रों में बदलाना
(घ) बेहतर प्रजनन सांडों को शामिल करके, वीर्य प्रसंस्करण सेवाओं के उन्नयन और

आधुनिकीकरण द्वारा, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं सृजित करके तथा वीर्य केंद्रों पर भौतिक सुविधाएं सृजित करके एमएसपी के अनुसार वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण

(ड़) संतति परीक्षण कार्यक्रम तथा पेडिग्री चयन के माध्यम से वीर्य केंद्रो और प्राकृतिक सेवा के लिए सांड उत्पादन।

(च) स्पर्म केंद्रों, वीर्य बैंकों और प्रशिक्षण, संस्थानों पर सांडों और सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रमाणीकरण और

(छ) आनुवंशिक आदानों तथा तरल नाइट्रोजन के उत्पादन और सप्लाई को किसी विशिष्टकृत स्वायत्त और व्यवसायिक राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को प्रबंधन क कार्य को सौंप कर संस्थागत पुन: संरचना

1.3 <u>योजना के लक्ष्य</u>:

(i) प्रजनन योग्य मादाओं की अधिक और उन्नत कवरेज। गोपशु और भैंसों के बीच लगभग 80% व्यस्क मादाओं को संगठित प्रजनन गतिविधि (कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक सेवा) के तहत लाया जाएगा।

(ii) इस परियोजना में लगभग 34000 निजी कृत्रिम गर्भाधान प्रैक्टिशनरों को शामिल किया जाएगा और उन्हें स्व-रोजगार मिलेगा।

(iii) अल्प उत्पादक गैर-प्रजातिया गोपशु और भैंसों को बड़ी संख्या में (20 मिलियन) उन्नतपशुओं द्वारा बदला जाएगा।

(iv) लगभग 80000 उत्कृष्ट सांडों को कृत्रिम गर्भाधान की पुंच से बाहार के क्षेत्रों में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(v) अधिक ग्रामीण स्व-रोजगार अवसर और अधिक फार्म आय। परियोजना का लाभ ग्रामीण घरों में सीधे ही निर्धन तक पहुंचेगा।

(vi) किसानों के घर-द्वार तक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी वीर्य, वीर्य केंद्रों और कृत्रिम गर्भाधान सांडों के लिए केंद्रीय निगरानी सैल की स्थापना।

(vii) अनेक स्वदेशी गोपशु और भैस नस्लों का संरक्षण और विकास

6. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष में संशोधन किया गया है ओर इसका नाम कदलकर डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना रखा गया है। नई संशोधित योजना डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) 11वीं योजना के दौरान 250 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 01.09.2010 से आरंभ की गई थी।

योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों को स्थापित करना।
- अच्छे प्रजनन स्टाक के संरक्षण के लिए बछड़ी पालन को प्रोत्साहन।
- गैर-संगठित क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन लाना जिससे कि ग्रामीण स्तर तक दूध का प्रारम्भिक प्रसंस्करण किया जा सके।
- वाणिज्यिक स्तर पर दूध के रखरखाव के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना।
- स्व रोजगार सृजित करना और मुख्य रूप से असंगठित डेयरी क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना।

<u>सहायता का तरीका</u>

उद्यमी का अंशदान (मार्जिन) परिव्यय का 10 प्रतिशत (न्यूनतम)

बैक एंडिड पूंजीगत सब्सिडी –सामान्य श्रेणी के लिए परिव्यय का 25 प्रतिशत (अनु.जाति/अनु.जनजाति के किसानों के लिए 33.33प्रतिशत)

प्रभावी बैंक ऋण -शेष भाग/परिव्यय का न्यूनतम 40 प्रतिशत परिव्यय

भारत सरकार सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना की लागत की 25 प्रतिशत बैक एंडिड पूंजीगत सहायता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को परियोजना की लागत का 33.33 प्रतिशत बैक एंडिड पूंजीगत सहायता देगी लेकिन यह घटक-वार सीमा तक सीमित होगी जो बैंक ऋण की वापसी के अंतिम कुछ किस्तों के प्रति समायोजित की जाएगी।

<u>क्रियान्वन एजेंसी</u>

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण और शहरी बैंक इस योजना को क्रियान्वित करेंगे। यह योजना संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लिए है।

लक्षित समूह/लाभभोगी

विभाग ने डेयरी विकास के लिए इस योजना का प्रस्ताव किया है और इस योजना के पात्र लाभभोगी किसान, असंगठित और संगठित क्षेत्र के उद्यमी और समूह हैं। संगठित क्षेत्र के समूह में स्वावलम्बी समूह, डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध संध, दुग्ध परिसंघ आदि शामिल हैं। इस योजना से ग्राम स्तर पर और डेयरी सहकारी समिति स्तर पर रोजगार का सृजन करने में मदद मिलेगी।

7. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

"गैर आपरेशन फ्लड ,पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में सघन डेयरी विकास परियोजना (आईडीडीपी)" नामक योजना 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- दुधारू गोपशुओं का विकास।
- तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
- लागत प्रभावी तारीके से दूध की अधिप्राप्ति ,प्रसंस्करण तथा विपणन को बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाएं सृजित करना
- ग्रामीण स्तर पर डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के जरिए दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चि करना।
- अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना।
- अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक ,पोषणिक तथा आर्थिक दर्जे में सुधार।

मार्च, 2005 में इस योजना में संशोधन किया गया। संशोधित योजना को गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) का नाम दिया गया है और इसे पहाड़ी तथा पिछड़े हुए इलाकों में तथा इन जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिन्हें आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान डेयरी विकास के कार्यों के लिए 50.00 लाख रुपए से भी कम राशि प्राप्त हुई थी। अब धनराशि सीधे कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् राज्य डेयरी संघ/जिला दुग्ध यूनियन को जारी की जाती है। यह योजना 'सी एम पी' के साथ विलयित योजना के रूप में 275.00 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय के साथ 11वीं योजना के दौरान जारी रखी जा रही है।

आईडीडीपी योजना के आरंभ से लेकर अब तक 111 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन 111 परियोजनाओं में से 58 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और 53 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। 30.1.2013 तक कुल 675.26 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 27 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 256 जिले कवर किए गए हैं। परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और दुग्ध संघों/दुग्ध परिसंघों को 30.1.2013 तक कुल 527.34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

30.58 लीटर से अधिक दूध की प्रति दिन खरीद द्वारा विभिन्न राज्यों में 32045 गांवों में लगभग 23.70 लाख किसानों को इन परियोजनाओं से लाभ पहुंचा है और लगभग 23.30 लाख लीटर प्रति दिन दूध का विपणन किया जाता है। इस योजना के अधीन 24.64 लाख लीटर प्रति दिन की दुग्ध शीतलन क्षमता सृजित की गई है और 32.08 लाख लीटर प्रति दिन की प्रसंस्करण क्षमता भी सृजित की गई है। इस योजना के अधीन लिंग और श्रेणी में कोई पक्षपात नहीं है।

8. गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

यह योजना 2003-04 (अक्तूबर, 2003) में आरंभ की गई।

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-:

- किसान स्तर से उपभोग के बिंदु तक स्वच्छ दुग्ध के उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण।
- किसान स्तर पर दूध दोहने की प्रक्रिया में सुधार।
- स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के महत्व के बारे में प्रशिक्षण तथा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए जनता को जागरुक करना।

कार्यान्वयन एजेंसियां

यह योजना जिला सहकारी दुग्ध संघ/राज्य स्तर पर दुग्ध परिसंघ द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

लक्षित समूह/लाभभोगी

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के महत्व के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इस योजना के अधीन प्राइमरी डेयरी सहकारी समितियों के

सहायता/वित्तपोषण की पद्धति

योजना के अधीन वित्तपोषण की पद्धति: भारत सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने वाले दुग्ध संघों (जिनका संचयी लाभ पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 1.00 करोड़ रुपए से अधिक है) के लिए सभी घटकों के लिए 75 प्रतिशत सहायता अनुदान। अन्य दुग्ध संघों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान।

9. <u>सहकारिताओं को सहायता</u>

<u>योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्य</u>

जिला स्तर पर बीमार डेयरी सहकारिता सघों और राज्य स्तर पर रुग्ण सहकारिता परिसंघों को पुनर्जीवित करना।

क्रियान्वयन एजेसी

यह योजना संबंधित जिला सहकारिता दूध संघ/परिसंघ द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत केंद्रीय अनुदान एनडीडीबी के माध्यम से दुग्ध संघों/परिसंघों को दिए जाने है।

लक्षित समूह/लाभार्थी

देश के विभिन्न भागों में ऑपरेशन फ्लर्ड कार्यक्रम के तहत तीन स्तरीय ढॉचे अर्थात् ग्राम स्तरीय सहकारिता, जिला स्तरीय संघ और राज्य स्तरीय परिसंघ वाली अनेक डेयरी सहकारिता स्थापित की गई है। इन संघों/परिसंघों को विभिन्न कारणों से हानि हुई है। ये संचित हानियां दुग्ध उत्पादों और उनकी डेयरी अर्थव्यवस्था को भारी परेशानियां पैदा कर रही है जिसके फलस्वरूप अन्य बातों के अलावा इन सहकारितों के गरीब किसान सदस्यों को विलम्बित और अनियमित भुगतान हो रहा है। इस योजना में बीमार सहकारिता दुग्ध संघों/परिसंघों की सहायता की व्यवस्था करने की व्यवस्था है ताकि उनका पुर्नवास किया जा सके और उन्हें व्यवहारिक बनाया जा सके।

सहायता की पद्धति/वित्त पोषण की पद्धति

भारत संघ और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 बंटवारे के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। अनुदान की अधिकतर सहायता अपेक्षित न्यूनतम धनराशि तक सीमित होती है ताकि धनराशि का निवल प्रवाह सात वर्षों के अंदर सकारात्मक बन जाए। किसी भी हाल में, कुल अनुदान संचित नकद हानियों से अधिक नहीं होता है।

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक 155.64 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से के साथ 310.91 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 12 राज्यों नामतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में दुग्ध संघों के 42 पुनर्वास प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और 31.12.2012 तक कुल 120.64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2012-13 के दौरान इस योजना को जारी रखने के लिए बजट अनुमान में 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 31.12.2012 तक 4.15 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है।

7. राष्ट्रीय डेयरी योजना

दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस विभाग ने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्व बैंक की सहायता से 2016-17 तक 150 मिलियन टन दूध की अनुमानित राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 के क्रियान्वयन की परिकल्पना की है। प्रस्तावित योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) उपयुक्त नीति और विनियामक उपायों द्वारा समर्थित नई प्रक्रियाओं के लिए संकेन्द्रित वैज्ञानिक दृष्टि से नियोजित बहुराज्यीय पहलकदमी आरंभ करना जिससे दुधारू पशुओं की उत्पादकता मे वृद्धि हो सके और उससे दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

(ख) ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक अपेक्षाकृत अधिक पहुंच मुहैया करना।

राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 का अनुमोदन मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा 16.2.2012 को किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 को 2011-12 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए तैयार किया गया है।

8. दिल्ली दुग्ध योजना

दिल्ली दुग्ध योजना 1 नवंबर 1959 से चल रही केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर संपूर्ण दूध उत्पादों की सप्लाई करना और राजधानी में और उसके आस-पास के दुग्ध उत्पादकों के लिए लाभकारी बाजार सुनिश्चित करना भी है।

दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5.00 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करने की है। वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र और मशीनरी के **आधुनिकीकरण** और **उन्नयन** के लिए कदम उठाए गए है ताकि विभिन्न प्रकार के दूध की प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाकर 6.00 लाख लीटर की जा सके।

9. <u>मात्स्यिकी</u>

मात्स्यिकी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और यह देश में लगभग 14.49 मिलियन लोगों को जीविका प्रदान कर रहा है। इसे एक सशक्त आय और रोजगार सृजनकर्त्ता के रूप में पहचाना गया है क्योंकि यह अनेक सहायक उद्योगों के विकास को गति देता है और विदेशी मुद्रा अर्जक के अलावा यह सस्ते और पोषक खाद्यान्न का भी स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का जीविका का स्रोत है। देश में मात्स्यिकी विकास जिन प्रमुख चुनौतियां का सामना कर रहा है उनमें शामिल हैं:- फिन और शैल मत्स्य पालन के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास, मत्स्य बीज प्रमाणीकरण, उत्पादन को अनुकूलतम बनाना, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों के लिए बुनियादी सुविधाएं तथा मात्स्यिकी यानों के लिए लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं और मत्स्य जलयानों के लिए समान रूप से पंजीकरण करना।

चल रही योजनाएं

(1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास
(2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास
(3) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना
(4) मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
(5) मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता
(6) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। चल रही इस योजना में ताजा जल, खारा जल, शीत जल, जल भराव क्षेत्रों, जलकृषि के लिए लवणीय/क्षारीय भूमि तथा कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों (जलाशय/नदियां आदि) के रूप में देश में सभी अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों को शामिल किया गया है। इस योजना को सात घटकों के साथ क्रियान्वित किया गया है। ये घटक हैं: ताजा जल जलकृषि का विकास, खारा जल जलकृषि का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में शीत जल मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास, जलभराव क्षेत्रों का जलकृषि संपदा के रूप में विकास, जलकृषि और अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (जलाशय/नदियां आदि) के लिए अंतर्देशीय लवणीय/क्षारीय भूमि का उपयोग और 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन के लिए नवीन परियोजनाएं। ताजा जल जलकृषि का विकास और खारा जल जलकृषि का विकास नामक दो घटकों को संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्थापित किए गए 429 मत्स्य कृषि विकास एजेंसी(एफ एफ डी ए) के नेटवर्क द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले दो घटकों के बारे में संक्षिप्त सार जो महत्वपूर्ण है नीचे दिया गया है:-

समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

विभाग पारंपरिक यानों के मोटरीकरण, ईंधन पर उत्पाद शुल्क पर राजसहायता देकर लघु यांत्रिकृत क्षेत्र को सहायता देने, सुरक्षित लैंडिंग, बर्थिंग और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना जैसी अनेक केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समुद्री क्षेत्र के विकास और उसके द्वारा पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के वास्ते वित्तीय सहायता देता रहा।

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम योजना

इस योजना के निम्नलिखित चार घटक हैं:

(क) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास
(ख) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा
(ग) बचत-सह-राहत
(घ) प्रशिक्षण और विस्तार

(क) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

इस घटक का उद्देश्य मछुआरों को आवास, पेयजल और सामुदायिक हॉल के निर्माण जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। एक मछुआरा गांव में 10 घरों से कम नहीं होंगे। गांवों को एक ट्यूबवेल दिया जाएगा और प्रत्येक 20 घरों के लिए एक ट्यूबवेल होगा। मनोरंजन और सामान्य कार्यस्थल के लिए कम से कम 75 घरों वाला मछुआरा गांव सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। इस योजना के तहत एक घर के लिए 50,000 रुपए, ट्यूबवेल के लिए 30,000 रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 35,000 रुपए) और सामुदायिक हॉल के लिए 1,75,000 रुपए की यूनिट लागत है। खर्च को समान रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में समूचा खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा

इस घटक का उद्देश्य मात्स्यिकी में सक्रिय रूप से कार्यरत मछुआरों को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सक्रिय मछुआरों की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता के लिए एक वर्ष के लिए 1,00,000/- रुपए और स्थायी रूप से आंशिक अपंगता के लिए 50,000/- रुपए का बीमा किया जाता है। बीमा प्रीमियम की ऊपरी सीमा 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। 50% वार्षिक प्रीमियम को केन्द्र द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राजसहायता दी जाती है और शेष 50% को राज्य सरकार द्वारा। संघ शासित प्रदेशों के मामले में 100% प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जो राज्य/संघ शासित प्रदेश फिशकॉपफेड के माध्यम से भाग ले रहे हैं उन सभी के मामले में एकल नीति अपनाई जाती है।

(ग) बचत-सह-राहत

इस घटक का उद्देश्य कमी के मौसम के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत लाभार्थी को अधिकता वाले महीनों के दौरान अपनी कमाई का एक भाग देना होता है। मात्स्यिकी अवधि के नौ महीनों में 600/- रुपए का योगदान मछुआरे द्वारा किया जा रहा है और 1,200/- रुपए का योगदान केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर किया जा रहा है। मछुआरों को कमी वाले मौसम के तीन महीनों के लिए 600/- रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 1,800/- रुपए वितरित किए जाएंगे।

मात्स्यिकी क्षेत्र का डाटाबेस और भोगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

'मात्स्यिकी क्षेत्र का डाटाबेस और भोगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण' संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 100% केन्द्रीय सहायता के साथ क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं:-

(क) अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों और उनकी क्षमता तथा मत्स्य उत्पादन के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण।
(ख) समुद्री मात्स्यिकी संबंधी गणना।
(ग) अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी के लिए कैच मूल्यांकन सर्वेक्षण।
(घ) जी आई एस का विकास।
(ड.) तटवर्ती राज्यों में मत्स्य उत्पादन क्षमता का आकलन।
(च) मूल्यांकन अध्ययन/व्यावसायिक सेवाएं।
(छ) मत्स्य जलयान का पंजीकरण।
(ज) भारतीय मात्स्यिकी सहकारिता के लिए डाटाबेस का विकास।
(झ) छोटे जल निकायों का मैपिंग और जीआईएस आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणाली का विकास।
(ञ) मुख्यालय में सांख्यिकी यूनिट को सुदृढ़ करना।

मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता

केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोची

केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) की स्थापना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1963 में कोची में की गई थी। उसके बाद इस संस्थान की दो और शाखाएं चेन्नई और विशाखापटनम में स्थापित की गई थीं। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य मात्स्यिकी यानों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों और तटीय प्रतिष्ठानों के लिए तकनीशियनों को उपलब्ध कराना है। संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम चलाता है जिनमें शामिल हैं (1) यू जी सी द्वारा मान्यताप्राप्त कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अनुमोदित और संबद्ध मात्स्यिकी विज्ञान(नौचालन विज्ञान) का पाठ्यक्रम; (2) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दो-दो वर्ष की अवधि के दो ट्रेड पाठ्यक्रम अर्थात् जलयान नेविगेटर और मैरीन फीटर; और (3) व्यावसायिक कॉलेजों, संबद्ध संगठनों, राज्य सरकारों को मात्स्यिकी विभागों आदि के छात्रों के लाभ के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में समेकित मात्स्यिकी परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया था। यह संस्थान विभिन्न प्रकार के मत्स्य उत्पादों का प्रसंस्करण करता है और विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देता है।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण भारतीय आर्थिक अनन्य क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और आकलन के लिए उत्तरदायी है और इसका मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पश्चिमी तट पर मुम्बई, मोरमुगांव और कोची, पूर्वी तट पर चेन्नई और विशाखापटनम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर्टब्लेयर में 6 कार्यात्मक बेस हैं। मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण और निगरानी के लिए कुल 12 महासागरीय अनुवर्ती सर्वेक्षण जलयान तैनात किए गए हैं। संसाधन सर्वेक्षणों के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विनियमन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की निगरानी करता है। गहरे समुद्र और महासागरीय मात्स्यिकी के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और गियर की उपयुक्तता का आकलन करता है, सिफनेट/पॉलीटेक्निक प्रशिक्षणार्थियों को जलयान पर ही प्रशिक्षण देता है, मात्स्यिकी समुदाय, उद्योग, अन्य प्रयोगकर्त्ताओं आदि को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मात्स्यिकी संसाधनों संबंधी जानकारी देता है।

केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर

केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान,की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के खाद्य और कृषि संगठन की तकनीकी और मानव शक्ति सहायता से जनवरी, 1968 में हुई थी। इस संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मत्स्यन बंदरगाह, मछली उतारने वाले केन्द्रों, खाद्य जल झींगा फार्मों और हैचरी परियोजनाओं के विकास के लिए देश के तट पर मौजूद संभावित मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों का पता लगाया जा सके ताकि मात्स्यिकी बंदरगाहों का विकास हो सके, चुनिन्दा मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों के लिए इंजीनियरी और आर्थिक अन्वेषण किया जा सके तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की जा सकें।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना सितम्बर, 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बोर्ड की स्थापना अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य कैप्चर, पालन, प्रसंस्करण और विपणन में मात्स्यिकी क्षेत्र की दोहन न की गई क्षमता का उपयोग करने तथा मात्स्यिकी के अनुकूल उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करके मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए की गई थी।

बोर्ड की गतिविधियों का जोर देश के मछली उत्पादन को बढ़ाकर 10.3 मिलियन टन के स्तर पर करने, निर्यात को 7,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपए करने और अंतर्देशीय, खारा जल तथा समुद्री क्षेत्रों के तहत गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को सहायता देकर 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देने पर है। यह मात्स्यिकी के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए प्लेटफाम का प्रसार करेगा।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी ए ए) को तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था तथा 22 दिसम्बर, 2005 के राजपत्र अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि क्रियाकलापों को विनियमित करना है। प्राधिकरण के पास तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और प्रचालन, फार्मों के पर्यावरणीय प्रभाव को निश्चित करने के लिए उनका निरीक्षण, जलकृषि फार्मों के पंजीकरण, आदान तथा छोटी नदियों के लिए मानक तथा करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटीय जलकृषि फार्मों को हटाने या ध्वस्त करने आदि के लिए विनियम बनाने की शक्ति है।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे का कारगर ढंग से समाधान करने के लिए विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी सी)' के माध्यम से जिसके निम्नलिखित चार घटक हैं, सहायता प्रदान करने के जरिए राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को समर्थन दे रहा है ।

(क) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)

(ख) राष्ट्रीय पशु रोग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई)

(ग) व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)

(ड.) राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस)

(च) राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंटस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीपीपीआर)

(छ) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीबी)

(ज) पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी)

इन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए एस सी ए डी)

इस घटक के तहत, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों को प्रतिरक्षण के जरिए नियंत्रित करने, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2011-12 के दौरान, 180 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में करीब 349.70 मिलियन टीके लगाए गए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान नवम्बर, 2012 तक 190 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 93.00 मिलियन टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप पर सूचना एकत्र करने और इसे पूरे देश के सबंध में संकलित करने की व्यवस्था है। मुख्यालयों में संकलित सूचना प्रत्येक छमाही के आधार पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) को अधिसूचित की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई)

पशुप्लेग विदीर्ण खुर वाले पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वाइरल रोग (मोरबिली वाइरस संक्रमण) है जिससे बोवाइनों और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में अत्यधिक मृत्यु दर होती है। इस समय राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना कार्यक्रम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को मई, 2006 में किए गए पशुप्लेग और मई, 2007 में सीबीपीपी संक्रमण से हासिल मुक्ति को कायम रखने के लिए अपेक्षित निगरानी बनाए रखने हेतु पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

पशुप्लेग और संक्रामक प्लूरो न्यूमोनिया जैसे रोगों से मुक्ति की भारत की स्थिति को कायम रखने के लिए रोगों के पुनर्प्रकोप का पता लगाने हेतु देश भर में गांव, स्टाक रूट और संस्थागत जांचों के जरिए

वास्तविक निगरानी की जा रही है। रोग मुक्ति की स्थिति को बरकरार रखने के लिए वास्तविक निगरानी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के स्टाफ की सहायता से रखी जा रही है।

(ग) व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

इसका उद्देश्य पशुचिकित्सा प्रणालियों को विनियमित करना और पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों के रजिस्टर का रखरखाव करना है। इस कार्यक्रम में उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को अपना लिया है, केन्द्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद और राज्य स्तर पर राज्य पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना की व्यवस्था है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर लागू किया गया है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद सतत पशुचिकित्सा शिक्षा (सीवीई) के जरिए अद्यतन तकनीकी जानकारी के संबंध में प्रशिक्षण दे रही है।

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)

खुरपका और मूंहपका रोग के कारण हुई आर्थिक हानियों को रोकने तथा फटे हुए खुरों वाले पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण से जिसमें टीके की लागत, कोल्ड चेन का रखरखाव और टीकाकरण के लिए अन्य लाजिस्टिक सहायता संबंधी खर्चे शामिल हैं, 221 चुने हुए जिलों में "खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम" नामक एक अवस्थिति विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य सरकारें अन्य अवस्थापना सुविधाएं तथा जनशक्ति मुहैया करा रही है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, एफ एम डी-सी पी के तहत कवर किए गए जिलों में लगभग 115.9 मिलियन टीके लगाए गए और लगभग 96,047 (टीका लगाने से पहले तथा बाद में) सेरा नमूने एकत्रित किए गए। वर्ष 2012-13 के दौरान, 31 दिसम्बर, 2012 तक 110 मिलियन टीकों की तुलना में लगभग 93.2 मिलियन टीके लगाए गए हैं।

(ड.) मौजूदा पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

देश में लगभग 10094 पशु चिकित्सालय/पॉलीक्लीनिक और 19531 औषधालय हैं। नए पशु चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने तथा मौजूदा अस्पतालों और औषधालयों को सुदृढ़/सुसज्जित करने में राज्यों की मदद करने के लिए विभाग 75: 25 (केन्द्र: राज्य) की हिस्सेदारी के आधार पर धनराशि मुहैया करा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं हैं जहां 90: 10 के आधार पर अनुदान मुहैया कराया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान नए पशुचिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के निर्माण तथा मॉजूदा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 90.00 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन की तुलना

में 98.8136 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। योजना के शुरु होने से अब तक 2514 पशुचिकित्सा अस्पतालों तथा 2701 पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियों (710 नए निर्माण और 1,429 नवीकरण) डिसपेंसरियों को 2011-12 तक योजना के तहत सहायता दी गई है। वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान के रूप में 91.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसके प्रति इस योजना के अधीन 31 दिसम्बर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.86 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(च) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीबी)

ब्रूसेलोसिस जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जेनेटिक रोग है, देश के अधिकांश भागों में महामारी का रूप ले चुका है। यह पशुओं में गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। गर्भपात को रोकने से नई बछड़िया पैदा होंगी जिससे पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और इस तरह दुग्ध उत्पादन में इजाफा होगा। यह नया घटक वर्ष 2010 में शुरु किया गया है और राज्यों/संध शासित प्रदेशों को उन इलाकों में जहां इस रोग का प्रकोप अधिक है, 6-8 मास की आयु वाली सभी मादा बछ़डियों को बड़े पैमाने पर टीके लगाने की व्यवस्था के लिए 100% केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान इस घटक के तहत राज्यों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए 15.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 11.88 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है । वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान के रूप में 11.00 करोड़ रूपए की राशि मुहैया कराई गई है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2012 तक राज्यों को 5.47 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई ।

(छ) राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस)

इस घटक का मुख्य उददेश्य वर्तमान रोग सूचना प्रणाली जो डाक द्वारा सूचना भेजने पर निर्भर है और जिसमें बहुत विलम्ब हो जाता है, के स्थान पर पशु रोग सूचना की कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करना है जिसमें प्रत्येक ब्लॉक, जिले और राज्य मुख्यालयों को केन्द्रीय रोग सूचना एवं अनुवीक्षण एकक, नई दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इस पहल के कारण रोग के प्रकोप को नियंत्रित करने और उसकी रोकथाम के लिए समय पर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा जिससे पशुधन मालिकों और देश को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। यह परियोजना 6 फरवरी, 2013 को आरंभ की गई थी और राज्यों ने ब्लॉकों और जिलों में रोग के संबंध में सूचना इस विभाग के अधीन नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय मानीटरिंग यूनिट को भेजनी आरंभ कर दी है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, इस घटक के लिए बजट अनुमान 10.00 है। एन आई सी ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एन ए डी आर एस से सम्बद्ध पशुचिकित्सा व्यावसायिकों के लिए 'मूलभूत कम्प्यूटर कार्यक्रम' और 'साफ्टवेयर अनुप्रयोग' के संबंध में एक-एक प्रशिक्षण अर्थात् कुल दो दौर का प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को दिया है ताकि वे रोग के आंकड़े सूचित करने के लिए साफ्टवेयर का उपयोग

कर सकें। इसके अतिरिक्त, एन आई सी के मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण देने के लिए तीन दौर आयोजित किए हैं। इस प्रणाली को शीघ्र कार्यात्मक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

1. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का विकास

इस योजना के अधीन, वाणिज्यिक/निजी भेड़/बकरी फार्मों की स्थापना करने का प्रावधान है। यह योजना महिलाओं, निर्धन और सीमांत किसानों के लाभ के लिए है।

2. **नर भैंस बछड़ों का बचाना और पालन करना**

इस योजना का उद्देश्य मीट उत्पादन के लिए भैंस बछड़ो को पालना निर्यात करने वाले बूचड़खानों के साथ संबंध विकसित करना है। इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उपोत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में आंशिक रूप से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार देने की भी उम्मीद है।

3. ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण

नगरों/शहरों में पौष्टिक और स्वस्थ मीट आपूर्ति किए जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में बूचड़खानों को स्थापित करने/आधुनिकीकृत किए जाने का लक्ष्य है जो इसकी उपलब्धि करा सकें। बूचड़खानों के आसपास चर्मशोधनशालाओं को ताजे चमड़े और खाल के आगे और उपयोग के लिए रोजगार के अवसरों से गुणवत्ता वाले चमड़े के उत्पादन में वृद्धि होगी।

4. मृत पशुओं का उपयोग

यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और पशुधन रोगों के फैलाव को रोकने और कंकालों को एकत्र करन, चमड़ा उतारने और उप उत्पादों को संशोधित करने में लगे हुए ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने तथा समय पर प्राप्ति, अच्छे रखरखाव और परिवहन के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की खाल और चमड़े का उत्पादन करने के उद्देश्य से पशुओं के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में कंकाल उपयोग केन्द्र स्थापित करने के लिए आरंभ की गई थी।

5. सूअर विकास

सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के समर्थन में इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले सुअर के गोश्त का उत्पादन करने और सुगठित सूअर के गोश्त के सुव्यवस्थित विपणन के लिए स्टालों में पाले गये सूअरों की पालना द्वारा किसानों/भूमिहीन श्रमिकों/सहकारिताओं को सहायता देना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके अपनाकर और अवसंरचना स्थापित करके सुअरों के व्यापारिक पालन को प्रोत्साहित करना, उन्नत जर्मप्लाज्म का उत्पादन और आपूर्ति, वैज्ञानिक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए साझेदारों (स्टॉकहोल्डरों) को संगठित करना, मीट उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना और अच्छी आय के लिए मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करना हैं।

6. संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण

10वीं योजना के दौरान शुरु की गयी केंद्रीय प्रायोजित योजना गोपशु और भैंसों को छोड़कर सभी पशुधन प्रजातियों को कवर करती है तथा इसका उद्देश्य पशुधन की उन संकटापन नस्लों का संरक्षण करना है जिनकी संख्या लगभग 10,000 है और उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। 1,000 से कम संख्या वाली कुक्कुट नस्लों को संकटापन नस्ल समझा जाता है। इस योजना के अधीन, केन्द्रीय प्रजनन यूनिटों की स्थापना के अलावा नीति तथा संस्थागत संरचना को तथा अनुसंधान एजेंसियों के साथ संपर्क सुदृढ़ करना, छोटे तथा बड़े पशुओं के लिए अनुमत्य परिवर्तनशील परियोजना अवधि शामिल है। राज्यों को पशुधन नस्लों तथा उनकी किस्मों की फेहरिश्त तैयार करने की आवश्यकता है।

7. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म

केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

क. भारत के भेड़ पालन वाले क्षेत्रों को वितरित करने के लिए बड़ी संख्या में संकर नस्ल के मेढ़ों का उत्पादन करना।

ख. उत्पादित मेढ़ों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने क लिए विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

ग. पूर्ण रूप से भारतीय संसाधनों का उपयोग करके भारतीय स्थितियों के अधीन प्रजनन और पालन के लिए उपयुक्त प्रबंधकीय प्रणाली और अपेक्षित सुविधिाओं का विकास करना।

12वीं पंचवर्षीय योजना में, उपर्युक्त सभी योजनाओं का राष्अ्रीय पशुधन मिशन में विलय किया जाएगा।

3. विभाग को आबंटित विषयों की सूची अनुबंध-2 पर है।

3.1 विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं की सूची अनुबंध-3 पर है।

3.2 अधीनस्थ कार्यालयों की सूची अनुबंध-4 पर है।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का संगठनात्मक चार्ट
और प्रभागों के बीच कार्य आबंटन

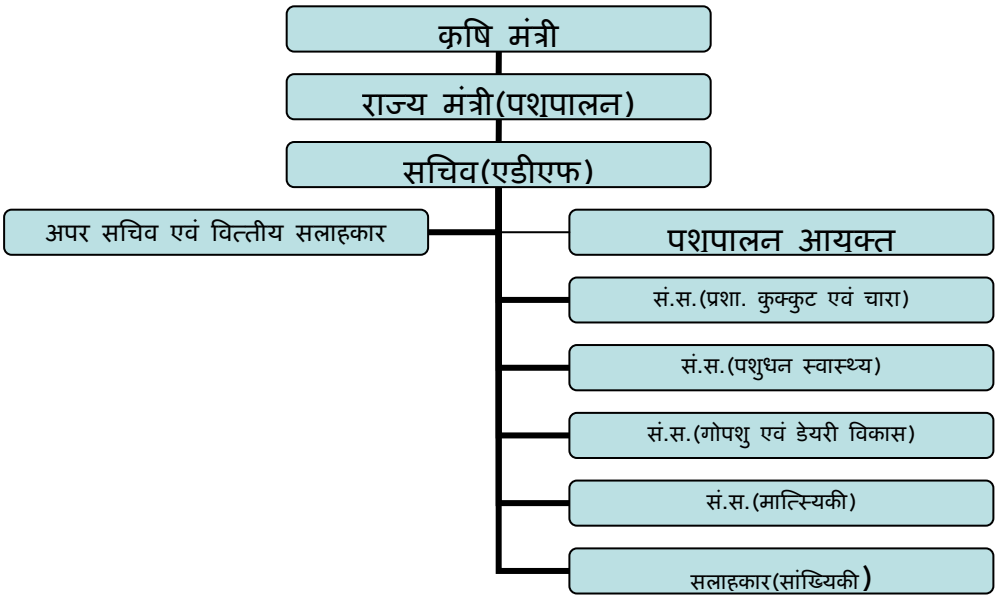

कार्य का आबंटन

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

विभाग के सभी बजट एवं वित्तीय मामले

पशुपालन आयुक्त

राष्ट्रीय पशुधन नीति, जैव विविधता और पशु आनुवंशिक संसाधन, पशु देखभाल/पशु कल्याण।

संयुक्त सचिव (ए पी एफ)

प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सतर्कता, कुक्कुट, केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, आहार और चारा, सूअर पालन, अश्व एवं भारवाही पशु, बकरी, भेड़, बूचड़खानें, मांस और मांस उत्पाद और पशुधन बीमा, राजभाषा और आंतरिक कार्य अध्ययन एकक तथा पशुधन विस्तार।

संयुक्त सचिव (पशुधन स्वास्थ्य)

पशुधन स्वास्थ्य, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं, योजना समन्वय, व्यापार और कोडेक्स मामले और विधान सभा के बिना संघ शासित प्रदेशों से संबंधित मामले।

संयुक्त सचिव (गोपशु और डेयरी विकास)

केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन, एन.पी.सी.बी.बी., डेयरी विकास, दिल्ली दुग्ध योजना, एनडीडीबी और डेयरी प्रभाग से संबंधित सभी मामले, संसद और आरटीआई, सामान्य समन्वय, प्रशासनिक सुधार और जनशिकायत और दिल्ली दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रशासनिक मामले।

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)

मात्स्यिकी से संबंधित नीति, विनियमन और विकास से संबंधित मामले, मात्स्यिकी संस्थान नामतः, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सिफनेट, एनआईएफपीएचएटीटी और सीआईसीईएफ तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से संबंधित सभी मामले।

सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगणना, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले।

अनुबंध - II

पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित विषयों की सूची

भाग-1

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में आते हैं:

1. उद्योग जहां तक पशुधन, मत्स्य और पक्षी आहार तथा डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य उत्पादों के विकास के संबंध में इनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद में पारित विधि द्वारा लोकहित में इस शर्त पर उपयुक्त घोषित किया गया हो कि इन उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्य उनकी मांगों के निरूंपण और लक्ष्यों के निर्धारण के कार्यक्षेत्र से बाहर न हों।
2. पशुधन, कुक्कुट और मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क और सहयोग।
3. पशुधन संगणना।
4. पशुधन सांख्यिकी।
5. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई पशुधन हानि से संबंधित विषय।
6. पशुधन आयात का विनियमन, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण।
7. मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और प्रादेशिक जल से बाहर)।
8. मात्स्यिकी संस्थान।
9. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड।

भाग-2

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-3 में आते हैं:-

10. पशुचिकित्सा प्रेक्टिस व्यवसाय।
11. पशुओं, मत्स्य, पक्षियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक अथवा संसर्गजन्य रोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाव को रोकना।
12. स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, पशुधन की स्वदेशी नस्लों के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पुस्तक शुरू करना और उसका रख-रखाव।

भाग-3

केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ऊंपर भाग-1 तथा भाग-2 में उल्लिखित विषय जहां तक वे इन प्रदेशों में अस्तित्व में हैं तथा निम्नलिखित विषयों के साथ-साथ जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 में शामिल हैं:

13. स्टॉक का परिरक्षण, संरक्षण तथा सुधार करना और पशु, मछली और पक्षियों के रोगों की रोकथाम, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण एवं प्रेक्टिस।
14. कोड्स ऑफ वाड्स।
15. पशुधन, मछली और पक्षियों का बीमा।

भाग-4

16. गोपशु उपयोग और वध से संबंधित मामले।
17. चारा विकास।

अनुबंध-III

प्रमुख योजनाओं की सूची

1. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन
2. पशु स्वास्थ्य निदेशालय
3. पशुधन स्वास्थ्य और नियंत्रण
4. पशुधन बीमा ,
5. कुक्कुट विकास कार्यक्रम
6. केंद्रीय चारा विकास संगठन
7. ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास
8. कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष
9. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन
10. पशुधन संगणना
11. एकीकृत नमूना सर्वेक्षण
12. सहकारिताओं को सहायता
13. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
14. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
15. गुणवत्ता और स्वच्छ दूघ उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
16. मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता
17. समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी ढांचा और पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाकलापों का विकास
18. अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास
19. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना
20. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
21. राष्ट्रीय डेयरी योजना

अनुबंध-IV

सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

1. पशुपालन प्रभाग

1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धाम रोड, जिला सूरत (गुजरात)।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, अंदेशनगर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।
3. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सिमिलीगुड़ी, पोस्ट सुनाबेड़ा,(कोरापुट), उड़ीसा।
4. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, राजस्थान।
5. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, पो0 बसन्तपुर, जिला सम्बलुपर, उड़ीसा।
6. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट अवाड़ी, अलामाधि, मद्रास-600052
7. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट हैस्सरघट्टा, बंगलौर (उत्तरी)।
8. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, बंगलौर(उत्तरी)।
9. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, डब्ल्यू-15, जगदीश कालोनी, रोहतक(हरियाणा)।
10. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, डब्ल्यू-34, जी एन एम कालोनी, कृष्णगंज, अजमेर-305001
11. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, 10, गौत्तम विहार सहकारी आवास समिति, उस्मानपुर, अहमदाबाद।
12. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, संथापेट, ओंगोले-523001, जिला प्रकाशम(आंध्र प्रदेश)।
13. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, नेताजी सुभाष सेनीटोरियम, कल्याणी जिला नाडिया(पश्चिम बंगाल)।
14. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, 48,राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर(जम्मू एवं कश्मीर)।
15. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
16. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, पोस्ट टैक्सटाइल मिल, हिसार(हरियाणा)।
17. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, जी.ए., 128/2, सैक्टर नं0 30, गांधीनगर (गुजरात)।
18. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, आवाड़ी, अलामाधि, मद्रास-600052
19. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, मामिडिपल्ली, वाया केशवगिरी, हैदराबाद-500005(आंध्र प्रदेश)।
20. केन्द्रीय चारा बीज फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर उत्तर।
21. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, दिल्ली गुड़गांव रोड, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
22. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, बेलिचेरी मेन रोड, पोस्ट पल्लीकरणी गांव, मद्रास-501302
23. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, गोपालपुरं गांव, पोस्ट गोपालपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
24. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, मुम्बई-400056
25. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, पत्र पेटी सं0 10, हिसार-125011(हरियाणा)।
26. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, दक्षिण क्षेत्र, हैस्सरघट्टा, बंगलौर (उत्तर)।
27. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र,, भुवनेश्वर-751022(उड़ीसा)।
28. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कालोनी, मुम्बई।

29. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़(हरियाणा)।

30. यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन प्रशिक्षण केन्द्र, 69/4, अर्बन एस्टेट, गुड़गांव(हरियाणा)

2. डेयरी विकास प्रभाग

31. दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

3. मात्स्यिकी प्रभाग

32. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर।

33. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।

34. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई।

35. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापत्तनम।

36. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।

37. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापत्तनम।

38. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

39. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई।

40. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, पोरबंदर।

41. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई।

42. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, केचीन।

43. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा।

44. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, पोर्टब्लेयर।

45. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापत्तनम।

46. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)

47. पशु संगरोध एवं प्रमाणिकरण सेवा केन्द्र, हैदराबाद

48 पशु संगरोध एवं प्रमाणिकरण सेवा केन्द्र, हैसरधट्टा, बैंगलोर

****

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परिणामी बजट
2013 - 2014

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

विषय-वस्तु

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सारांश	कार्यकारी सारांश	1-4
अध्याय - 1	भूमिका	5-36
अध्याय - 2	परिव्यय, वास्तविक उत्पादन और परिणाम	37-66
अध्याय - 3	सुधारात्मक उपाय और नीतिगत पहलकदमियां	67-73
अध्याय - 4	पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा	74-94
अध्याय - 5	वित्तीय समीक्षा	95-106
अध्याय - 6	सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	107-114